**UPRN**010023322021

**न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,कोर्ट सं.13/विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) कानपुर देहात।**

जमानत आवेदन संख्या–1047/2021

महावीर पुत्र विश्राम सिंह उम्र करीब 22 वर्ष निवासी दहेली, थाना रसूलाबाद, कानपुर देहात।

.....प्रति.....उत्तर प्रदेश राज्य।

अपराध संख्या–318/2021

धारा–363,366,376 IPC & 3/4 POCSO Act

थाना रसूलाबाद, कानपुर देहात।

दि. 27–07–2021

आवेदक/अभियुक्त की ओर से वाद अपराध संख्या–318/2021 धारा–363,366,376 IPC & 3/4 POCSO Act, थाना रसूलाबाद, कानपुर देहात, के अन्तर्गत यह जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्तुत मामले में अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी मुकदमा माजिद अली द्वारा थाना स्थानीय पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 03–06–2021 को इस बावत पंजीकृत करायी गयी कि उसकी पुत्री पीड़िता नाबालिग उम्र 17 वर्ष को महावीर पुत्र विश्राम सिंह बहला फुसलाकर दिनांक 03–06–2021 सुबह 3 बजे अगवाकर ले गया जिसकी जानकारी वादी व उसके परिवार को सुबह 7 बजे हुई तो उसने आसपास छानबीन की और उक्त लड़के के घर पर पूछतांछ की तो उक्त लड़के के घर वाले उल्टे उस पर ही बरस पड़े। चूंकि वादी ने उक्त लड़के को उसके घर में घुसते हुए भी एक–दो बार पकड़ा था तब गांव वालो व उसके घर वालों के कहने पर कोई कार्यवाही नहीं की जिसका लाभ उठाकर अब उक्त लड़के ने अपने अज्ञात साथियों के साथ मिलकर उसकी नाबालिग पुत्री को अगवा कर लिया है। उक्त लड़का उसकी पुत्री के साथ पूर्व से छेडछाड़ किया करता था। उक्त के आधार पर संबंधित थाने में अभियुक्त महावीर के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट अं०धारा– 366,366 IPC पंजीकृत हुआ जो दौरान विवेचना साक्ष्य के आधार पर अं०धारा–363,366,376 IPC & 3/4 POCSO Act में तरमीम हुआ।

जमानत आवेदन प्रस्तुत कर आवेदक अभियुक्त द्वारा स्वयं को दौरान मुकदमा उचित धनराशि की जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है। संलग्न शपथपत्र में अभिकथित है कि समस्त तथाकथित घटना फर्जी व मनगढंत है। घटना का कोई चश्मदीद साक्षी नहीं है। पीड़िता द्वारा बयान अं०धारा–164 दं०प्र०सं० घरवालों व पुलिस के दबाव में आकर दिये गये है। पीड़िता बालिग है। आवेदक अभियुक्त दिनांक 18–06–2021 से जिला कारागार माती में बंद है। यह आवेदक अभियुक्त का प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है और कोई भी प्रार्थनापत्र बावत जमानत किसी अन्य न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (आपराधिक) की ओर से जमानत का विरोध करते हुए जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियोजन अनुसार अभियुक्त द्वारा बाल पीड़िता का व्यपहरण कर उसके साथ बलात्संग एवं प्रवेशन लैंगिक हमला कारित किया गया है। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत शैक्षिक सत्र 2015–16 प्रधानाध्यापक प्रा०वि० दहेली द्वारा निर्गत प्रगति रिपोर्ट में पीड़िता की जन्मतिथि 15–09–2005 वर्णित है, जिस अनुसार पीड़िता घटना के समय 18 वर्ष से कम आयु की अवयस्क थी। पीड़िता ने अपने बयान अं०धारा–161 दं०प्र०सं० तथा विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष दिये अपने बयान अं०धारा–164 दं०प्र०सं० में भी अभियुक्त द्वारा स्वयं के साथ शादी करना कहा है। घटना की तिथि पर पीड़िता का नाबालिग होना स्वीकृत है। पीड़िता के कथनों के आधार पर स्पष्ट है कि अभियुक्त द्वारा अवयस्क बाल पीड़िता के साथ विवाह किया गया व पति पत्नी के संबंध स्थापित किये गये हैं। मामले के सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति, गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त महावीर का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

(शैलेन्द्र कुमार वर्मा)
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं.13/
विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) कानपुर देहात।